प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त
(द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 89/2026
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि प्रार्थी श्री दिनेश चंद्र अग्रवाल पुत्र श्री जुगल किशोर अग्रवाल आयु 68 निवासी बी 16 मान नगर, झुंझुनूं राजस्थान 333001 ने सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत धनराज लक्ष्मी नारायण फागलवाला जन कल्याण प्रतिष्ठान, लक्ष्मी भवन, सीकर के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 22.4.26 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 25.6.26
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त (द्वितीय)
देवस्थान विभाग जयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त
(द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 85/2026
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि प्रार्थी श्री विकास गिल पुत्र श्री मदन सिंह गिल निवासी गिल भवन, रोड नं0 3 झुंझुनूं जिला झुंझुनूं राजस्थान 333001 ने सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत महर्षि दयानन्द शिक्षण संस्थान टोडी गुढ़ागौड़जी जिला झुंझुनूं के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 22.4.26 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 25.6.26
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त (द्वितीय)
देवस्थान विभाग जयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त
(द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 90/2026
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि प्रार्थी श्री मनीष अग्रवाल पुत्र श्री स्व. श्री बृज किशोर अग्रवाल निवासी श्री मंगलम, रोड़ नं. 2 झुंझुनूं जिला झुंझुनूं राजस्थान ने सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत नानू दादी फाउंडेशन जिला झुंझुनूं के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 22.4.26 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 25.6.26
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त (द्वितीय)
देवस्थान विभाग जयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त
(द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 96/2026
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि प्रार्थी श्री मनीष अग्रवाल पुत्र श्री स्व. श्री बृज किशोर अग्रवाल निवासी श्री मंगलम, रोड़ नं. 2 झुंझुनूं जिला झुंझुनूं राजस्थान ने सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत श्री डालमिया शिक्षा समिति चिड़ावा जिला झुंझुनूं के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 22.4.26 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 29.6.26
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त (द्वितीय)
देवस्थान विभाग जयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त
(द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 98/2026
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि प्रार्थी श्री रमन कुमार पुत्र श्री शुभकरण निवासी मुकुन्दगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनूं राजस्थान 333705 ने सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रोफेसर एस. करण शिक्षा समिति मुकुन्दगढ़ मंडी जिला झुंझुनूं के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 22.4.26 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 29.6.26
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त (द्वितीय)
देवस्थान विभाग जयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त
(द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 99/2026
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि प्रार्थी श्री श्रवण कुमार केजड़ीवाल पुत्र श्री वासुदेव प्रसाद केजड़ीवाल निवासी वार्ड नं. 24 केजड़ीवाल भवन, मोदी रोड़ झुंझुनूं जिला झुंझुनूं राजस्थान ने सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत महाराजा अग्रसेन शिक्षा एवं जन कल्याण ट्रस्ट जिला झुंझूनू के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 22.4.26 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 29.6.26
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त (द्वितीय)
देवस्थान विभाग जयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त
(द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 114/2026
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि प्रार्थी श्री अशोक सिंह शेखावत पुत्र श्री रघूवीर सिंह निवासी वार्ड नं. 10 बड़ागांव जिला झुंझुनूं राजस्थान 333021 ने सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत श्री कृष्णा गोशाला समिति बड़ागाँव जिला झुंझुनूं के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 23.4.26 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 3.7.26
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त (द्वितीय)
देवस्थान विभाग जयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त
(द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 91/2026
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि प्रार्थी श्री वासु देव पुत्र श्री पूरण मल शर्मा निवासी वार्ड नं. 07 मुकुन्दगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनूं राजस्थान 333705 ने सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत कानोरिया चैरिटेबल सोसायटी मुकुन्दगढ़ जिला झुंझुनूं के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 22.4.26 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 25.6.26
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त (द्वितीय)
देवस्थान विभाग जयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त
(द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 86/2026
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि प्रार्थी श्री श्याम सुन्दर पुत्र श्री विश्वनाथ टीबड़ा निवासी तुलस्यानों का मोहल्ला वार्ड सं. 39 झुंझुनूं जिला झुंझुनूं राजस्थान 333001 ने सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत श्री खेमी जन कल्याण ट्रस्ट झुंझुनूं जिला झुंझुनूं के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 22.4.26 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 25.6.26
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त (द्वितीय)
देवस्थान विभाग जयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त
(द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 82/2026
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि प्रार्थी श्रवण सिह पुत्र श्री रिसाल सिंह निवासी वार्ड नं. 29 किशोर सिंह जी का पाना, गुढ़ागौड़जी तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुंझुनूं राजस्थान ने सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत श्री गोपी नाथ गौशाला समिति गुढ़ागौड़जी जिला झुंझुनू के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 22.4.26 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 24.6.26
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त (द्वितीय)
देवस्थान विभाग जयपुर

पोषाहार की समीक्षा

जयपुर। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने शुक्रवार को सचिवालय में महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर प्रदेश के आंगनवाड़ी केन्द्रों पर बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं को उपलब्ध कराए जा रहे पोषाहार की गुणवत्ता, वितरण व्यवस्था और पोषण संबंधी व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की।

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त
(द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 81/2026
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि प्रार्थी श्री नरौत्तम कुमार पुत्र श्री ईश्वरदास निवासी गोशाला रोड़ चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनूं राजस्थान 333026 ने सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत श्री कृष्ण गोशाला समिति चिड़ावा जिला झुंझुनूं के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 22.4.26 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 24.6.26
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त (द्वितीय)
देवस्थान विभाग जयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त
(द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 83/2026
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि प्रार्थी मुरारी लाल सिंघानिया पुत्र श्री झाबरमल सिंघानिया निवासी ग्राम पोस्ट चुड़ी अजीतगढ़ जिला झुंझुनूं राजस्थान ने सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत झाबरमल सिंघानिया जन कल्याण कोष पोस्ट चुड़ी अजीतगढ़ जिला झुंझुनूं के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 22.4.26 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 24.6.26
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त (द्वितीय)
देवस्थान विभाग जयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त
(द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 100/2026
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि प्रार्थी श्री राजेश अग्रवाल पुत्र श्री लीलाधर अग्रवाल निवासी वार्ड नं. 12 हॉस्पिटल रोड़, सुरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राजस्थान 333029 ने सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत अग्रवाल जन कल्याण समिति सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 22.4.26 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 29.6.26
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त (द्वितीय)
देवस्थान विभाग जयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त
(द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 95/2026
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि प्रार्थी श्री पवन कुमार जखोड़िया पुत्र श्री रामेश्वर दास जखोड़िया निवासी वार्ड सं. 6 डालमियो चौक पिलानी, तहसील पिलानी जिला झुंझुनूं राजस्थान 333031 ने सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत श्री गौशाला पिलानी जिला झुंझुनूं के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 22.4.26 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 29.6.26
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त (द्वितीय)
देवस्थान विभाग जयपुर

नम्बर मिलाइए
9587884433
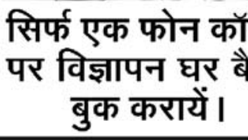
सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

प्रदेश में पूर्व विधायकों को यथावत मिलती रहेगी पैंशन

राजस्थान हाईकोर्ट ने खारिज की जनहित याचिका

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश में पूर्व विधायकों को दी जा रही पेंशन के खिलाफ दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस पीएस भाटी और जस्टिस विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ ने यह आदेश मिलाप चंद डांडिया की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में राजस्थान विधानसभा अधिकारी और सदस्य वेतन, परिलब्धियां और पेंशन अधिनियम,1956 की संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि विधायकों और सांसदों को मिलने वाले लाभों की संवैधानिक स्थिति लगभग एक समान है। सुप्रीम कोर्ट सांसदों के मामले में पेंशन का मुद्दा पहले ही तय कर चुका है और यह अब अनसुलझा कानूनी प्रश्न नहीं है। अदालत ने माना की पेंशन केवल पारंपरिक सरकारी सेवा या नियोक्ता व कर्मचारी संबंध तक सीमित नहीं है, बल्कि कानून में कई अन्य श्रेणियों में भी पेंशन को मान्यता दी गई है। अदालत ने कहा कि संविधान के तहत विधान मंडल को पेंशन के संबंध में कानून बनाने की पूर्ण विधायी क्षमता है। संविधान के अनुच्छेद 195 में पेंशन शब्द का स्पष्ट उल्लेख नहीं होने से यह नहीं कहा जा सकता की संविधान में इसे देने पर कोई प्रतिबंध है। इसके अलावा कानून बनाना मुख्य रूप से विधानमंडल का काम है और न्यायिक समीक्षा का दायरा विधायी क्षमता की जांच करने तक सीमित है।

- **अदालत ने अपने आदेश में कहा कि विधायकों और सांसदों को मिलने वाले लाभों की संवैधानिक स्थिति लगभग एक समान है। सुप्रीम कोर्ट सांसदों के मामले में पेंशन का मुद्दा पहले ही तय कर चुका है और यह अब अनसुलझा कानूनी प्रश्न नहीं है।**

जनहित याचिका में अधिवक्ता विमल चौधरी ने साल 1956 के अधिनियम को चुनौती देते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 195 केवल वेतन और भत्तों के निर्धारण की शक्ति देता है और इसमें पेंशन का हवाला नहीं है। ऐसे में विधानसभा को ऐसा कानून बनाने का अधिकार नहीं है। इसके अलावा पेंशन केवल सरकारी सेवा से रिटायर होने पर ही दी जाती है, जबकि विधायक का पद राजनीतिक और संवैधानिक पद है। इसका विरोध करते हुए राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट लोक प्रहरी के मामले में सांसदों को पेंशन देने का मुद्दा पहले ही तय चुका है। सांसदों और विधायकों की स्थिति एक समान है, इसलिए विधानसभा की ओर से बनाया कानून पूरी तरह वैध है। संविधान भी पेंशन के संबंध में विधानसभा को कानून बनाने की अधिकार देता है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद खंडपीठ ने जनहित याचिका को खारिज कर दिया है।

एसी सर्विसिंग के दौरान ब्लास्ट, दो युवक गंभीर घायल

जयपुर। महेश नगर इलाके के स्वेज फार्म स्थित एडवोकेट के घर पर शुक्रवार शाम एसी सर्विसिंग के दौरान हुए तेज धमाके में दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। ब्लास्ट इतना जबरदस्त था कि एसी के परखचे दूर-दूर तक बिखर गए और छत पर अफरा-तफरी मच गई। पुलिस के अनुसार घटना शाम करीब साढ़े चार बजे की है। महेश नगर इलाके में एक मकान की छत पर दो युवक एसी की सर्विसिंग कर रहे थे। इसी दौरान अचानक एसी में तेज ब्लास्ट हो गया। धमाके की चपेट में आने से दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में लाल बाबू (40) के चेहरे पर गंभीर चोट आई, जबकि रामेश्वर चौधरी (35) के पैर में गंभीर घाव हुए हैं। धमाका इतना तेज था कि छत पर खून बिखर गया और एसी के टुकड़े दूर तक जा गिरे। सूचना मिलने पर महेश नगर थाना प्रभारी सुरेश यादव पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और दोनों घायलों को तत्काल दुर्लभजी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है।थाना प्रभारी सुरेश यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों युवक गोपाल गुप्ता एडवोकेट के घर पर एसी की सर्विसिंग कर रहे थे। इसी दौरान तकनीकी कारणों से एसी में ब्लास्ट हो गया।

साइबर ठगी नेटवर्क का भंडाफोड़, 48 आरोपी गिरफ्तार

जयपुर। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के दक्षिण जिला पुलिस ने साइबर अपराधियों और मोबाइल चोर गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन म्यूल हंटर के तहत 48 साइबर अपराधियों और संदिग्धों को दबोचा है। पुलिस ने इस कार्रवाई में करीब 2 करोड़ रुपए की साइबर ठगी के नेटवर्क का खुलासा किया है।

पुलिस उपायुक्त (दक्षिण) राजर्षि राज ने बताया कि पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर 1 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान विभिन्न थानों में 15 प्रकरण दर्ज कर 17 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 31 संदिग्धों को धारा 170 बीएनएसएस के तहत पकड़ा गया।जांच में सामने आया कि आरोपी लोगों को लालच देकर उनके बैंक खाते किराए पर लेते थे और उन्हीं खातों के जरिए साइबर ठगी की रकम ट्रांसफर करवाई जाती थी। श्यामनगर थाना के प्रकरण संख्या 174/26 में एनसीआरपी पोर्टल पर देशभर से 53 शिकायतें लिंक मिलीं। मामले में मानसरोवर निवासी अजय कुमार विजय (33) को गिरफ्तार किया गया। वहीं, सोडाला थाना के प्रकरण संख्या 180/26 में 41 शिकायतें सामने आने पर सांगानेर निवासी ललित कुमार सैनी (23) को गिरफ्तार किया गया। जयपुर दक्षिण साइबर सेल ने गुम और चोरी हुए मोबाइलों की बरामदगी के लिए विशेष अभियान चलाते हुए सीईआईआर पोर्टल और तकनीकी विश्लेषण की मदद से राजस्थान के विभिन्न जिलों से 430 मोबाइल बरामद किए।

ज्वैलरी कारोबारी से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी

जयपुर। राजस्थान में गैंगस्टर्स के नाम पर रंगदारी मांगने और धमकी देने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ताजा मामला जयपुर के झोटवाड़ा इलाके से सामने आया है, जहां एक ज्वेलरी कारोबारी को गैंगस्टर रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण गैंग के नाम से पांच करोड़ रुपए की रंगदारी मांगते हुए धमकी दी गई है। पीड़ित कारोबारी की शिकायत पर झोटवाड़ा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस साइबर एक्सपर्ट की मदद से धमकी भेजने वाले की पहचान में जुटी है।झोटवाड़ा थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह ने बताया कि इलाके में रहने वाले एक ज्वेलरी कारोबारी के मोबाइल पर 6 मई को एक वॉइस मैसेज आया। मैसेज भेजने वाले व्यक्ति ने खुद को रोहित गोदारा-वीरेंद्र चारण गैंग से जुड़ा बताया और कारोबारी से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी की मांग की। धमकी भरे वॉइस नोट में रंगदारी नहीं देने पर कारोबारी और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी गई। घटना के बाद कारोबारी का परिवार दहशत में है।

कार्यालय उप आवासन आयुक्त वृत्त-प्रथम
राजस्थान आवासन मण्डल, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांक -785 दिनांक - 08/05/2026
जाहिर आम-सूचना राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना में आवास/फ्लैट संख्या 68/259 (MIG-B) का आवंटन श्री आलोक कुमार पुत्र श्री रविन्द्र कुमार माथुर एवं श्रीमती रश्मि कुमार पत्नी श्री आलोक कुमार को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 787 दिनांक 05-11-1993 को जारी किया गया था। जिसका नियमितिकरण पत्र क्रमांक 2249 दिनांक 23-03-2005 के द्वारा श्रीमती सुशीला जैन पत्नी स्व. श्री कैवर लाल जैन के पक्ष में किया गया। इनके पक्ष में पंजीयन पत्रो निष्पादन दिनांक 28.03.2010 को कर दिया गया।
श्रीमती सुशीला जैन की मृत्यु दिनांक 02.04.2026 को हो जाने के कारण उनके पुत्र श्री हेम प्रकाश जैन पुत्र स्व. श्री कैवर लाल जैन द्वारा आवासन मण्डल में पंजीकृत वसीयतनामा के आधार पर अपना नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कराने बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति/ पक्षकार को कोई आपत्ती हो तो अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, श्री हेम प्रकाश जैन पुत्र स्व. श्री कैवर लाल जैन का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा।
सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त-प्रथम, राज. आवा मण्डल, जयपुर

कार्यालय उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल वृत अलवर
आवश्यक सूचना
आवास संख्या 2-ज-2, एस.डब्ल्यू. बी. योजना, अलवर जो कि मूलतः श्री मोती लाल जाटव पुत्र श्री लीला राम को आवंटन पत्रांक 20627 दिनांक 02.03.1983 के द्वारा आवंटित किया गया था। मण्डल द्वारा आवास का अदेय प्रमाण पत्र क्रमांक 5949 दिनांक 23.12.2013 को श्री मोती लाल जाटव के नाम जारी कर दिया गया था। श्री मोती लाल जाटव द्वारा आवास की रजिस्ट्री स्वयं के नाम से दिनांक 31.01.2014 को उप पंजीयक कार्यालय अलवर में पंजीकृत करवाई जा चुकी है। श्री मोती लाल जाटव द्वारा उक्त आवास का बेचान जर्ये पंजीकृत बयनामा दिनांक 03.03.2014 को श्री दिनेश चन्द गुप्ता पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण गुप्ता को कर दिया गया। श्री दिनेश चन्द गुप्ता द्वारा उक्त आवास का बेचान जर्ये पंजीकृत बयनामा दिनांक 21.08.2015 श्री गोविन्द सिंह पुत्र श्री छबील सिंह को कर दिया गया। मण्डल द्वारा आवास का नाम लीज हस्तांतरण कार्यालय आदेश क्रमांक 1631 दिनांक 09.03.2026 को श्री गोविन्द सिंह के नाम जारी कर दिया गया। श्री गोविन्द सिंह द्वारा उक्त आवास का बेचान जर्ये पंजीकृत बयनामा दिनांक 13.03.2026 को श्री चन्द्रप्रकाश अरोड़ा पुत्र श्री ओमप्रकाश अरोड़ा एवं श्री राजेश कुमार पुत्र श्री श्याम बाबू शर्मा को संयुक्त रूप से कर दिया गया। श्री चन्द्रप्रकाश अरोड़ा एवं श्री राजेश कुमार द्वारा संयुक्त रूप से उक्त आवास का मण्डल नियमानुसार लीज हस्तांतरण किये जाने हेतु आवश्यक प्रपत्र एवं शुल्क जमा करा कर आवेदन किया गया है। अतः जरिये इस विज्ञप्ति यह आगाह किया जाता है कि उक्त आवास संख्या 2-ज-2, एस.डब्ल्यू.बी. योजना, अलवर के सम्बन्ध में पिता, पुत्र, पुत्री, भाई, अन्य किसी रिश्तेदार व्यक्ति विशेष या हितकारी को एंव आम व्यक्ति विशेष को उजर एतराज हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 10 दिवस में राजस्थान आवासन मण्डल वृत अलवर मे अपना एतराज लिखित में प्रस्तुत करें अन्यथा श्री चन्द्रप्रकाश अरोड़ा पुत्र श्री ओमप्रकाश अरोड़ा एवं श्री राजेश कुमार पुत्र श्री श्याम बाबू शर्मा के पक्ष मे आवास के संयुक्त नाम से लीज हस्तांतरण की कार्यवाही की जावेगी।
उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल वृत अलवर

MUNICIPAL CORPORATION JAIPUR
(Pandit Deendayal Uppadhyay Bhawan Lalkothi Tonk Jaipur 302015)
No. F-6()DCR-FIRST (J.S)/RO.LIC/N.N.J/2026/1025 Date : 08-05-2026
PUBLIC NOTICE
The licensee M/s/ Indus Tower Limited Jaipur (Particulars of Licensee) has submitted application in this office for granting permission for erection/ installation of telecom tower aboveground telegraph infrastructure on the land or building or location mentioned below :-

Sr. No.	Site ID	Address
1	IN 3515583	On Divider Vijay Path, Achariya Tulsi Circle, Tilak Nagar, Ward No.-149, Jaipur

Therefore, it is hereby informed to all concerned that if, any body has any objection or suggestion on granting permission for installation or establishment of above mentioned telecom infrastructure on the land/location above, he may submit objection or suggestion along with supporting documents before the undersigned during office hours on any working day within 7 days of the publication of this notice.
In absence of any objection/ suggestion within above stipulated time it any be deemed that nobody has objection/suggestion and matter will be disposed off accordingly.
Deputy Commissioner (Revenue-I)
Municipal Corporation, Jaipur

न्यायालय पंच निर्णायक एवं सहायक रजिस्ट्रार (प्रोसेसिंग), सहकारी समितियाँ, जयपुर
रजिस्ट्रार कार्यालय, 22 गोदाम, जयपुर
क्रमांक : **सार्वजनिक नोटिस/विज्ञप्ति** दिनांक :
(राजस्थान सहकारी अधिनियम, 2001 की धारा-60 एवं नियम, 2003 के नियम संख्या 79)
श्रीमती हनीता कुमावत पत्नी श्री लोकेन्द्र कुमावत, निवासी ए-1, किसान मार्ग, बरकत नगर, टोंक फाटक, जयपुर (राज.) पिनकोड 302015 द्वारा बदनपुरा फकीरों की डूंगरी गृह निर्माण सहकारी समिति लि. जयपुर जरिये अध्यक्ष, पता-73, स्कीपर वैली, न्यू सांगानेर रोड, मानसरोवर, जयपुर (राज.) जरिये अध्यक्ष व अन्य के विरुद्ध राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 की धारा 58 के अन्तर्गत एक वाद प्लॉट नं. एन-9 आवासीय योजना, गोल्डन पार्क, अजमेर रोड, महला, जयपुर (राज.) में क्षेत्रफल 1000 वर्गगज के सम्बन्ध में प्रस्तुत किए जाने पर प्रकरण में राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 की धारा 60(1)(ग) के अन्तर्गत उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, जयपुर (शहर) के आदेश क्रमांक 2063-66 दिनांक 05.12.2025 द्वारा उक्त वाद में अधोहस्ताक्षरकर्ता को पंच निर्णायक नियुक्त किया गया है। उक्त वाद में सुनवाई विचाराधीन है, अतः एतद् जरिये नोटिस द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि उक्त वर्णित विवादित भूखण्ड के सम्बन्ध में किसी भी हितबद्ध व्यक्ति/संस्था को किसी प्रकार की आपत्ति हो, तो वह अपना जवाबदावा/प्रतिदावा/प्रार्थना-पत्र मय दस्तावेज सुनवाई दिनांक 22.05.2026 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार (प्रोसेसिंग) सहकारी समितियां, द्वितीय तल रजिस्ट्रार कार्यालय नेहरू सहकार भवन, 22 गोदाम जयपुर में व्यक्तिशः उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। जवाब/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर एक पक्षीय अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। सूचित रहें। यह सार्वजनिक नोटिस 08.05.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया है। (फौजिया खान) पंच निर्णायक एवं सहायक रजिस्ट्रार (प्रोसेसिंग), सहकारी समितियां, रजिस्ट्रार कार्यालय, जयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त
(द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 76/2026
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि प्रार्थी जटाशंकर पुनिया पुत्र प्रेमचन्द पुनिया निवासी 26 पटेल नगर वार्ड नं 43 नया हनुमान मंदिर के पास विवेक कॉलोनी नवलगढ रोड़ सीकर राजस्थान ने सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा कआ7(1) के अन्तर्गत बी.पी. एस शिक्षण संस्थान चंदपुरा पं सं पीपराली सीकर राजस्थान के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 9.4.26 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 19.6.26
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त (द्वितीय)
देवस्थान विभाग जयपुर

नाम परिवर्तन

मेरी सर्विस बुक नं. 46999 में बच्चे का नाम गलती से Parvez Hussain लिखा गया, जबकि अन्य सभी दस्तावेजों में Parvez Husain है। अतः भविष्य में उसे Parvez Husain के नाम से जाना पहचाना जावें। Parvez Husain S/o Akbar Husain Usamani टुडियाना, दौसा, राज.-321608

मैं, आरूषि महाजन सक्सैना पत्नी शैलेन्द्र सक्सैना निवासी प्लॉट नं.802 ब्लॉक नं.5, रॉयल ग्रीन अपार्टमेन्ट, सिरसी मोड, वैशाली नगर, जयपुर राजस्थान-302021 मेरे पासपोर्ट में मेरा नाम आरूषि सक्सैना दर्ज है, मैंने अपना नाम आरूषि सक्सैना से बदलकर आरूषि महाजन सक्सैना रख लिया है भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जावे।

मैने अपना नाम विजय कुमार से बदलकर विजय कुमार शर्मा पुत्र श्री बजरंग लाल शर्मा रख लिया है भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जाये। निवासी- जगदीश का मन्दिर, मिनर्वा सिनेमा के पास, सांगानेरी गेट, जयपुर, राजस्थान।

I, Chander Prakash S/O Guman Singh R/O Flat No. I/206, Guru Shikhar Apartment, Nanakpura Hema ke Nangal, Sanganer Beelwa Kalan Jaipur Raj-302022 I have Changed my name Chander Prakash Sharma to Chander Prakash For all future will be known as Chander Prakash

खोया पाया

मेरे प्लाट नं. 194-A, विधानसभा सचिवालय योजना, धावास अजमेर रोड के मूल कागजात अजमेर रोड पर कहीं गिर गये है मिलने पर सूचित करें। गीता देवी 8504848052

मेरे भूखंड सं. 1 निजी खातेदारी की योजना- PRIM PROVINCE SECTOR-A जयपुर का पंजीकृत जे.डी.ए. पट्टा, साईट प्लान और पट्टे के साथ संगलन स्टाम्प पेपर कही गुम हो गये है सूचित करे- विवेक जैन मो. 7011177863

मेरा प्लॉट 90/63 प्रताप नगर सांगानेर का मूल अदेय प्रमाण पत्र मुझसे कहीं गुम हो गया है मिलने पर सूचित करे एम.सी. शर्मा 6375877321

आवास संख्या 31/13/01 मानसरोवर जयपुर का आवंटन पत्र कहीं गिर/गुम हो गया , मिलने पर सूचित करें, मनोजदास, मोबाइल 9929356002

कपड़ा फैक्ट्री में करोड़ों रु. का आईपीएल सट्टा पकड़ा

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की स्पेशल टीम (सीएसटी) और मालपुरा गेट थाना पुलिस ने आईपीएल क्रिकेट मैचों पर ऑनलाइन सट्टेबाजी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कपड़ा फैक्ट्री में संचालित अवैध सट्टा नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने फैक्ट्री मालिक समेत छह सटोरियों को गिरफ्तार कर करोड़ों रुपए के हिसाब-किताब से जुड़े रजिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और वाहन जब्त किए हैं। फिलहाल आरोपितों से पूछताछ की जा रही है।

पुलिस उपायुक्त (अपराध) संजीव नैन ने बताया कि पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल और विशेष पुलिस कमिश्नर (ऑपरेशन्स) ओमप्रकाश के निर्देशन में सीएसटी ने यह कार्रवाई की। जहां मुखबिर से सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने मालपुरा गेट इलाके में माल की ढाणी (सांगानेर) स्थित नानग विहार कॉलोनी के प्लॉट नंबर-3 में संचालित 'चिरायु गर्वित कम्पनी' नामक कपड़ा फैक्ट्री पर दबिश दी। पुलिस ने फैक्ट्री की तीसरी मंजिल पर बने कमरे में दबिश देकर आईपीएल मैच पर ऑनलाइन सट्टा लगाते उत्तम सैनी (40) निवासी झालाना ग्राम, रूपल बंसल (34) निवासी मुहाना मंडी रोड, राजेंद्र कुमार (46), निवासी पुरानी टोंक,देवेंद्र कुमार जंगलानी (37) निवासी मालवीय नगर, विकास नागर (40) निवासी नाहरी का नाका और मनोहर स्वामी (38) निवासी बाबाजी की ढाणी, सांगानेर को गिरफ्तार किया। पुलिस जब पहुंची, तब लखनऊ और बेंगलुरु के बीच खेले जा रहे आईपीएल मैच पर आरोपियों द्वारा दांव लगाए जा रहे थे।

प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि आरोपित मालवीय नगर के बड़े बुकी अशोक गुप्ता और बाबू उर्फ नोनी से सट्टे की लाइन लेकर जूम एप के जरिए ऑनलाइन सट्टेबाजी का नेटवर्क संचालित कर रहे थे। आरोपी लंबे समय से कपड़ा फैक्ट्री की आड़ में यह अवैध कारोबार चला रहे थे। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि बुकी उत्तम सैनी और फैक्ट्री मालिक मनोहर इस कारोबार में बराबर के पार्टनर थे। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से 21 मोबाइल फोन, 4 लैपटॉप, 1 डोंगल, चार्जर केबल, कैलकुलेटर, सट्टे के हिसाब-किताब से जुड़े 6 रजिस्टर तथा 1540 रुपए नकद बरामद किए।

उद्घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)
व्यवहार मिश्रित (मुत्तफरिक) वाद सं. 21/2025 उत्तराधिकार
विषय- उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र।
प्रार्थी नाम श्रीमती नीतू रानी पत्नी राकेश कुमार शर्मा
विवाद स्थान बैंक अकाउंट नं. 60233987 व SBI Bank 51015748393
मृतक राकेश कुमार शर्मा बैंक अकाउंट के संबंध में की सम्पत्ति के विषय में।
पेशी दिनांक- 22.05.2026
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी/प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक, नाम राकेश कुमार शर्मा पुत्र छोटे लाल शर्मा जाति.. 33 R/o त्रिवेणी विहार रामपुरा रोड सांगानेर जयपुर का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रदान किया जावें।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 22 माह 05 सन् 2026 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
आज दिनांक 13 माह 04 सन् 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया।
आज्ञा से-शरिस्तेदार
मोहर अदालत
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश संख्या-10 जयपुर महानगर सांगानेर जयपुर

NOTICE
It is intimated that the undermentioned cases of village Prempura will be listed in Estate Officer Court. Station Headquarters Cell, Jaipur Military Station. You are hereby directed to appear before the Court in person or through authorized representative alongwith documents/ records on 15 May 2026 at 11:00 hours. In case you failed to appear in the court the case may be decided Ex-parte.
1. Mr Gopal Lal S/o Late Shri Nanak Ram
2. Mr Sahi Ram S/o Shri Ganpat Ram
3. Mr Jagdish Singh S/o Shri Bhom Singh
4. Mr Banye Singh S/o Shri Ladu Singh
5. Mr Hanuman Singh S/o Shri Kishore Singh
6. Mr Dalpat Singh S/o Shri Prem Singh
7. Mr Babu Khan S/o Shri Jiwan Khan
8. Mr Nand Singh S/o Shri Umed Singh
9. Mr Bansi Lal S/o Late Shri Badri Lal
10. Mr Sharoop Singh S/o Shri Ravinder Singh
11. Mr Chater Singh s/o Shri Ishwar Singh
12. Mr Ram Singh S/o Shri Jambhal Singh
13. Mr Jitu Kumar s/o Late Shri Raju Kumar
14. Mr Shabir Khan S/o Shri Shavdin Khan
15. Mr Jagdish Singh S/o Shri Bhawani Singh
16. Ex Nb Sub Hanuman Singh S/o Late Shri Ramlal Singh
17. Mr Ramavtar S/o Shri Goru Ram
18. Smt Vijay Laxmi W/o Late Shri Deepak Singh
19. Mr Dashrath Singh S/o Shri Gambhir Singh
20. Mr Ganpat Singh S/o Shri Prem Singh
21. Mr Prem Singh S/o Late Shri Punraj Singh
22. Mr Ranjeet Singh S/o Shri Hanuman Singh
23. Mr Maharana Saini S/o Shri Sohan Lal Saini
24. Mr Kajod Mal Saini S/o Shri Sohan Lal Saini
25. Mr Sohan Lal Saini S/o Shri Mohru Ram Saini
26. Mr Suraj Mal Saini S/o Shri Mohru Ram Saini
27. Mr Keshav Ram S/o Shri Chotu Ram
28. Mr Om Prakash Davi S/o Shri Bhanwar Lal
29. Mr Ram Prakash Saini S/o Shri Chhoturam Saini
30. Shri Sham Sunder Sharma S/o Late Shri Radhey Lal Sharma
31. Mr Yogendra Saini S/o Shri Suraj Mal Saini
32. Shri Bhairav Singh S/o Shri Ranjeet Singh
33. Mr Shabir Khan S/o Late Shri Sher Din Khan
34. Mr Banye Singh S/o Shri Ladu Singh
35. Mr Bhagwan Singh S/o Shri Ram Chand Singh
36. Mr Daleep Kumar S/o Late Shri Babu Lal
37. Mr Puran Mal S/o Shri Kishan Lal
38. Mr Doulat Singh S/o Late Shri Kishan Singh
39. Mr Suraj Mal Mariya S/o Shri Ganesh Mariya
40 Mr Gopal Lal Choudhary S/o Shri Nanag Ram

Dated: 08 May, 2026
Place: Jaipur
Court Mohar
(By the Order of EO Court)

न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश क्रम सं01 सांभरलेक
(नियम -130 व 131)
अपील की सूचना अन्तर्गत धारा 426 (1) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023
फौजदारी अपील 04/2020
दिनांक-05/05/2026
विजय पापटवान बनाम रूपचन्द सोनी
बनामः-
रूपचन्द सोनी पुत्र बाबूलाल सोनी, निवासी पिंक हाउस फतेहपुर रोड, सीकर हाल निवासी डी-17 शिवपार्क, अम्बाबाडी, जयपुर-302039
अपील निगरानी विरूद्ध निर्णय दिनांक 01.11.2019 के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सांभरलेक मुकदमा नंबर 612/14 अपराध अन्तर्गत धारा 420 भा0दं0सं0 दण्ड प्रक्रिया संहिता अपील इस न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश क्रम सं 01 सांभरलेक द्वारा दि. 22/05/26 समय 8.00 ए.एम. को सुनी एंव निर्णित की जायेगी।
अतः आज दिनांक 05/05/26 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।
आज्ञा से
मोहर अदालत
वरिष्ठ प्रस्तुतकार
अपर जिला एवं सैशन न्यायालय संख्या-1
सांभर लेक जिला जयपुर

सम्मन बनाम कायम मुकाम
(आर्डर 22 रूल 4 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत MM (West) Jaipur Metro 2nd मुकाम
राजेन्द्र पराशर बाबत सुरेन्द्र प्रताप ढीगणा
दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा
मुकद्दमा नम्बर 140/15 सन्
मुकद्दमा नम्बर 769/2015 सन्
बनाम- (1) मुसम्मी श्रीमती ढीगणा पत्नी स्व.सुरेन्द्र प्रताप ढीगणा कौम... (2) मुसम्मी मिक्की ढीगणा वल्द स्व.सुरेन्द्र प्रताप ढीगणा कौम... (3) मुसम्मी श्रीमती पूनम पुत्री स्व.सुरेन्द्र प्रताप ढीगणा कौम... (4) मुसम्मी रूचिका पुत्री स्व.सुरेन्द्र प्रताप ढीगणा कौम...
साकिन 30/54/1 स्वर्ण पथ, मानसरोवर जयपुर
चूंकि.... ने इस अदालत में तारीख... माह... सन् 199 को 1.... बनाम 2.... दायर की जो कि बाद में फोत हो गया। और चूंकि... मजकूर के दरख्वास्त अदालत हाजा में यह जाहिर करने की आप मुतवफ्फी... मजकूर के कायम मुकाम जायज हो और इस्तदुआ की है बजाय उसके आप 3.... बनायें जावें।
लिहाजा बजरिये हाजा बगर्ज जवाब देही 1.... 11 माह 05 सन् 2026 अदालत हाजा में हाजिर होने के लिये तलब किया जाता है और तारीख मुकर्रर पर आपके हाजिर न होने पर मुकद्दमा आपकी गैर हाजरी में सुना व फेसल किया जावेगा।
बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 02 माह 05 सन् 2026 को जारी किया गया।
मोहर अदालत
रीडर-सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट पश्चिम जयपुर महानगर द्वितीय

KOTA BUS SERVICES LIMITED
CIN : U60210RJ2015SGC047372, Nagar Nigam Kota, New Administrative Building, Rajeev Gandhi Bhawan, Dushera Maidan Kishorpura, Kota, 324009, E-mail :kbskitybus@gmail.com
No. :- KBSL/NNK/2025-26/1315 - 1332 **Date :- 05/05/2026**
Kota Bus Services Ltd. Invites online tender from eligible placement agency/eligible registered Contractors and Clerical Work for below mentioned work. Detailed tender document can be download from website **www.eproc.rajasthan.gov.in www.sppp.rajasthan.gov.in.**
UBN : DLB2627WLRC03858
Raj.Samwad/C/26/2403
Chief Executive Officer

उत्तर पश्चिम रेलवे
आवश्यक सूचना
पत्र संख्याः-**W/350/1** दिनांक : **08.05.2026**
सर्व सम्बन्धित को सूचित किया जाता है कि खातीपुरा-जगतपुरा स्टेशनों के मध्य फाटक संख्या-212 (खातीपुरा फाटक) KM 225/3-4 को दिनांक 09.05.2026 को सुबह 8.00 से शाम 18.00 बजे तक ट्रैक मरम्मत कार्य हेतु पूर्णरुप से बन्द रहेगा, असुविधा के लिए खेद है।
मण्डल/इन्जी.(मुख्या.) जयपुर
678-CQ/26
हमें /NWRailways NWRailways_ पर फॉलो करें

COLLEGE OF AGRICULTURE
(S.K.N. Agriculture University-Jobner)
Bhusawar - Bharatpur (Rajasthan)-321406
No. :- F.( ) Store./COA/Bhusawar/2026/98 **Date :- 06/05/2026**
NOTICE INVITING BID
Bid for open tender regarding Bus for Educational Tour is invited from interested bidders upto 11 AM, 13-05-2026 other particulars of the bid may be visited on the procurement portal **(http://sppp.raj.nic.in)** of the state; **www.sknau.ac.in** University website.
NIB code SKN2627A0032 and UBN is SKN2627SSOB00030
Raj.Samwad/C/26/2377 **DEAN**